

आसीन अधिकारी - हरबिन्दर डी० सिंह (आर.ए.एस.)

1. कुन्दन आत्मज राजाराम जाति मीणा निवासी बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद
2. रामलखन आत्मज राजाराम जाति मीणा निवासी बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद
3. गायत्री बाई पत्नि राजाराम जाति मीणा निवासी बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद
4. चेतन आत्मज स्व० नन्दबिहारी जाति मीणा निवासी बम्बूलिया रावतान तह० दीगोद
5. नरेश आत्मज स्व० नन्दबिहारी जाति मीणा निवासी बम्बूलिया रावतान तह० दीगोद
6. रविन्द्र आत्मज स्व० नन्दबिहारी जाति मीणा निवासी बम्बूलिया रावतान तह० दीगोद
7. यशोधरा बेवा स्व० नन्दबिहारी जाति मीणा निवासी बम्बूलिया रावतान तह० दीगोद
8. रामावतार माता जानकी बाई, पिता कजोड जाति मीणा निवासी बम्बूलिया रावतान तह० दीगोद (वादी)

बनाम

1. राजाराम आत्मज बाला जी जाति मीणा निवासीगण बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद
2. प्रेमबाई पुत्री बाला जाति मीणा निवासीगण बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद
3. कान्ति उर्फ चन्द्रकान्ता पुत्री बाला जी जाति मीणा निवासीगण बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद
4. निर्मला पुत्री बाला जी जाति मीणा निवासीगण बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद
5. किसकिन्धा पुत्री बाला जाति मीणा निवासीगण बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद
6. जानकी बाई उर्फ रामजानकी पत्नी कजोड जाति मीणा निवास बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से :- श्री बलराम शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से :- श्री धनराज मण्डावत एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 राज० टीनेन्सी एक्ट बाबत घोषणा, दुरुस्ती, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

-: निर्णय :-

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :-

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद में खाता नम्बर नया 37 पुराना 39 पर दर्ज खसरा नम्बर 114 की 0.93 है०, 123 की 0.39 है०, 129 की 2.45 है०, 130 की 2.99 है०, 154 की 0.83 है०, 174/390 की 3.25 है०, 222 की 0.52 है०, 224 की 1.80 है०, 301 की 0.03 है०, 311 की 0.02 है, 49 की 1.72 है०, 58 की 1.70 है०, 91 की 2.74 है० कुल कित्ता 13 रकबा 19.37 है० भूमि वादी नम्बर 4 ता 7 व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है।

यह कि ग्राम बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद में खाता नम्बर नया 36 पुराना 38 पर दर्ज खसरा नम्बर 101 की 0.93 है०, 115 की 0.57 है०, 138 की 1.39 है०, 151 की 0.97 है०, 173 की 0.60 है०,

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज०)

की 6.40 है, 220 की 0.13 है, 221 की 0.80 है, 226 की 0.14 है, 283 की 0.04 है, 294 की 0.12 है, 48 की 3.30 है, 59 की 0.31 है, 72 की 2.89 है, 90 की 1.21 है कुल किता 15 रकबा 19.80 है।
की भूमि वादी नम्बर 4 ता 7 व प्रतवादी नम्बर 1 ता 5 के शमलाती खाते में दर्ज चली आ रही है।

यह कि ग्राम भूडेन तहसील दीगोद में खाता नम्बर नया 49 पुराना 48 पर दर्ज खसरा नम्बर 111 की 2.03 है, 123 की 0.53 है कुल किता 2 रकबा 2.56 है भूमि वादी नम्बर 4 ता 7 व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 5 व मृतक केसर बाई पत्नी स्व० बाला के शमालाती खाते में दर्ज चली आ रही है।

यह कि उपरोक्त भूमियां वादीगण व प्रतिवादीगण की पुश्तेनी भूमिया है जो पूर्व में उपरोक्त मेया वादीगण के दादा बाला जी के खाते में दर्ज था बाला जी क मृत्यु के बाद उनके दोनों पुत्र राजाराम प्रतिवादी नम्बर 1 व मृतक पुत्र नन्दबिहारी के वारिसान वादी नम्बर 4 ता 7 व पुत्रिया प्रतिवादी नम्बर 2 ता 5 के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादी नम्बर 6 वादी नम्बर 8 की माता है।

यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण जाति से मीणा है तथा मीणा जाति व समाज में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। इस कारण खातेदार बाला की पुत्रियों प्रतिवादी नम्बर 2 ता 5 के नाम उक्त भूमि दर्ज हुई। जो गलत है। मीणा जाति व समाज में पुत्रियों व बेवा पत्नी का भूमि में कोई अधिकारी नहीं होता है और वेसे भी प्रतिवादी नम्बर 2 ता 5 का किसी प्रकार का हक व अधिकार तथा कब्जा नहीं रहा है। यह कि उक्त वर्णित ग्राम बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद में खाता नम्बर नया 37 पुराना 39 पर दर्ज भूमि कुल किता 13 रकबा 19.37 है में से 1/2 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी नम्बर 1 व वादी नम्बर 4 ता 7 को खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि वादी नम्बर 8 की पुश्तेनी भूमि होने के कारण वादी नम्बर 8 प्रतिवादी नम्बर 6 को 1/2 हिस्स में बराबर का हिस्सा है इस कारण वादी नम्बर 8 को प्रतिवादी नम्बर 6 के हिस्से में सहखातेदार घोषित किया जाता है।

यह कि इसी प्रकार वाद पत्र की मद नम्बर 2 व 3 में वर्णित भूमि में प्रतिवादी नम्बर 2 ता 5 का नाम डिलिट किया जाकर प्रतिवादी नम्बर 1 व वादी नम्बर 4 ता 7 को खातेदार घोषित किया जाना तथा प्रतिवादी नम्बर 1 के हिस्से में वादी नम्बर 1 ता 3 को सह खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है। ग्राम भूडेन की भूमि में राजस्व रिकार्ड में सहखातेदार केसर बाई की मृत्यु हो गयी है इस कारण उसका नाम डिलिट किया जाना आवश्यक है।

यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी मौखिक सहमति से विभाजन हो गया जिसके अनुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज है:-

जिसके अनुसार वादी नम्बर 4 ता 7 के हिस्से में विभाजन में प्राप्त भूमि ग्राम बम्बूलिया रावतान के खसरा नम्बर 101 की 0.93 है, 115 की 0.57 है, 138 की 1.39 है, 151 की 0.97 है, 174 की 6.40 है में से 3.20 है, 220 की 0.13 है, 221 की 0.80 है में से 0.50 है दक्षिणी, 226 की 0.14 है, 283 की 0.04 है, 294 की 0.12 है, 48 की 3.30 है, 114 की 0.93 है में से 0.29 है दक्षिणी, 154 की 0.83 है, 224 की 1.80 है में से 0.90 है दक्षिणी, 301 की 0.03 है, 311 की 0.02 है, 49 की 1.72 है कुल किता 17 की 15.08 है तथा ग्राम भूडेन तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 111 की 2.03 है, 123 की 0.53 है कुल किता 2 रकबा 2.56 है है।

प्रतिवादी नम्बर 1 राजाराम व वादी नम्बर 1 ता 3 को प्राप्त भूमि ग्राम बम्बूलिया रावतान के खसरा नम्बर 173 की 0.60 है, 59 की 0.31 है, 72 की 2.89 है, 90 की 1.21 है, 174/390 की 3.25 है, 58 की 1.70 है, 91 की 2.74 है, 174 की 6.40 है में से 3.20 है पूर्व, 221 की 0.80 है में से 0.30 है उत्तर, 114 की 0.93 है में से 0.64 है उत्तर, 224 की 1.80 है में से 0.90 है उत्तर कुल किता 11 रकबा 17.74 है है।

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादी नम्बर 6 व वादी नम्बर 8 के हिस्से में ग्राम बम्बूलिया रावतान के खसरा नम्बर 123 39 है0, 129 की 2.45 है0, 130 की 2.99 है0, 222 की 0.52 है0 कुल किता 4 रकबा 6.35 है0 प्राप्त

4

यह कि वादीगण ने प्रतिवादी नम्बर 1 को उनके हिस्से की भूमि में सहखातेदार घोषित करने प्रतिवादीन नम्बर 2 ता 5 को उनका नाम हटाने व डिलिट कराने व राजस्व रिकार्ड में विभाजन कराने दिनांक 23.09.2022 को कहा तो उन्होंने इन्कार कर दिया बल्कि प्रतिवादीगण ने राजस्व रिकार्ड के तार भूमियों को रहन बेचान करने की धमकी दी उक्त परिस्थितियों में वादीगण के न्यायालय में घोषणा दादारी, दुरुस्ती इन्द्राज, विभाजन तथा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना शक हो गया है। इस कारण वाद पेश है।

अतः वादीगण द्वारा वाद पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के लाफ आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि पक्षकारान के मध्य हुये मौखिक पारिवारिक विभाजन के अनुसार भाजन किया जाकर ग्राम बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 101 की 0.93 है0, 115 की 57 है0, 138 की 1.39 है0, 151 की 0.97 है0, 174 की 6.40 है0 में से 3.20 है0, 220 की 0.13 है0, 221 की 0.80 है0 में से 0.50 है0 दक्षिणी, 226 की 0.14 है0, 283 की 0.04 है0, 294 की 0.12 है0, 48 की 3.30 है0, 114 की 0.93 है0 में से 0.29 है0 दक्षिणी, 154 की 0.83 है0, 224 की 1.80 है0 में से 0.90 है0 दक्षिणी 301 की 0.03 है0, 311 की 0.02 है0, 49 की 1.72 है0 कुल किता 17 की 15.08 है0 तथा ग्राम भूडेन तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 111 की 2.03 है0, 123 की 0.53 है0 कुल किता 2 रकबा 2.56 है0 में से प्रतिवादी नम्बर 2 ता 5 का नाम डिलीट किया जाकर वादी नम्बर 4 ता 7 को खातेदार घोषित किया जावे।

यह कि पक्षकारान के मध्य हुये मौखिक पारिवारिक विभाजन के अनुसार विभाजन किया जाकर ग्राम बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 173 की 0.60 है0, 59 की 0.31 है0, 72 की 2.89 है0, 90 की 1.21 है0, 174/390 की 3.25 है0, 58 की 1.70 है0, 91 की 2.74 है0, 174 की 6.40 है0 में से 3.20 है0 पूर्व, 221 की 0.80 है0 में से 0.30 है0 उत्तर, 114 की 0.93 है0 में से 0.64 है0 उत्तर, 224 की 1.80 है0 में से 0.90 है0 उत्तर कुल किता 11 रकबा 17.74 है0 भूमि में से प्रतिवादी नम्बर 2 ता 5 का नाम डिलिट किया जाकर प्रतिवादी नम्बर 1 व वादी नम्बर 1 ता 3 को खातेदार घोषित किया जावे।

यह कि पक्षकारान के मध्य हुये मौखिक पारिवारिक विभाजन के अनुसार विभाजन किया जाकर ग्राम बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद के खसरा नम्बर 123 की 0.39 है0, 129 की 2.45 है0, 130 की 2.99 है0, 222 की 0.52 है0 कुल किता 4 रकबा 6.35 है0 भूमि में ये प्रतिवादी नम्बर 2 ता 5 का नाम डिलिट किया जाकर वादी नम्बर 8 व प्रतिवादी नम्बर 6 को खातेदार घोषित किया जावे। तथा प्रतिवादी नम्बर 7 को आदेश दिया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त कर अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

वादीगण की और से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न है :-

1. नकल जमाबन्दी संवत् 2074-2077 ग्राम बम्बूलिया रावतान खाता संख्या 36 व 37 तह0 दीगोद
2. नकल जमाबन्दी संवत् 2074-2077 ग्राम भूडेन खाता संख्या 48 पुराना व 49 नया तह0 दीगोद

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गई। वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 द्वारा लिखित राजीनाम प्रस्तुत कर कथन किया है कि:- पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है और पूर्व मोखिक रूप से हुये पारिवारिक विभाजन के अनुसार मौके पर काबिज भूले आ रहे :-

सहायक कॅलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

के अनुसार वादी नम्बर 4 ता 7 के हिस्से में विभाजन में प्राप्त हुई भूमि ग्राम बम्बूलिया रावतान के 0 101 की 0.93 है, 115 की 0.57 है, 138 की 1.39 है, 151 की 0.97 है, 174 की 6.40 है 0 में से है, 220 की 0.13 है, 221 की 0.80 है 0 में से 0.50 है दक्षिणी, 226 की 0.14 है, 283 की 0.04 है, 294 की 0.12 है, 48 की 3.30 है, 114 की 0.93 है 0 में से 0.29 है दक्षिणी, 154 की 0.83 है, 224 की 1.80 है 0 में से 0.90 है दक्षिणी, 301 की 0.03 है, 311 की 0.02 है, 49 की 1.72 है कुल किता 17 15.08 है तथा ग्राम भूडेन तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 111 की 2.03 है, 123 की 0.53 है कुल किता 2 रकबा 2.56 है।

जिसके अनुसार प्रतिवादी नम्बर 1 राजाराम व वादी नम्बर 1 ता 3 को प्राप्त भूमि ग्राम बम्बूलिया रावतान के ख0न0 173 की 0.60 है, 59 की 0.31 है, 72 की 2.89 है, 90 की 1.21 है, 174/390 की 3.25 है, 58 की 1.70 है, 91 की 2.74 है, 174 की 6.40 है 0 में से 3.20 है पूर्व, 221 की 0.80 है 0 में से 0.30 है उत्तर, 114 की 0.93 है 0 में से 0.64 है उत्तर, 224 की 1.80 है 0 में से 0.90 है उत्तर कुल किता 11 रकबा 17.74 है।

जिसके अनुसार प्रतिवादी नम्बर 6 व वादी नम्बर 8 के हिस्से में पारिवारिक विभाजन में प्राप्त भूमि ग्राम बम्बूलिया रावतान के ख0न0 नम्बर 123 की 0.39 है, 129 की 2.45 है, 130 की 2.99 है, 222 की 0.52 है कुल किता 4 रकबा 6.35 है।

यह कि उपरोक्त भूमि में से प्रतिवादी नम्बर 2 ता 5 अपना हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहती है तथा उनको कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी नम्बर 2 ता 5 का नाम डिलिट किया जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि राजीनामा तस्दीक किया जाकर वादीगण का वाद उपरोक्त राजीनामा के अनुसार डिक्री किया जावे।

वाद में उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करने पर कोई आपत्ति नहीं की है। वादीगण की पहचान वादी अधिवक्ता से करवाई गयी एवं प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादी अधिवक्ता से करवायी गयी। राजस्व रिकॉर्ड एवं वादी की और से प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा का गहन अध्ययन व मनन किया गया। उभय पक्ष की और से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया किये जाने योग्य है। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया है :- जिसके अनुसार वादी नम्बर 4 ता 7 के हिस्से में विभाजन में प्राप्त हुई भूमि ग्राम बम्बूलिया रावतान के ख0न0 101 की 0.93 है, 115 की 0.57 है, 138 की 1.39 है, 151 की 0.97 है, 174 की 6.40 है 0 में से 3.20 है, 220 की 0.13 है, 221 की 0.80 है 0 में से 0.50 है दक्षिणी, 226 की 0.14 है, 283 की 0.04 है, 294 की 0.12 है, 48 की 3.30 है, 114 की 0.93 है 0 में से 0.29 है दक्षिणी, 154 की 0.83 है, 224 की 1.80 है 0 में से 0.90 है दक्षिणी, 301 की 0.03 है, 311 की 0.02 है, 49 की 1.72 है कुल किता 17 की 15.08 है तथा ग्राम भूडेन तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 111 की 2.03 है, 123 की 0.53 है कुल किता 2 रकबा 2.56 है। जिसके अनुसार प्रतिवादी नम्बर 1 राजाराम व वादी नम्बर 1 ता 3 को प्राप्त भूमि ग्राम बम्बूलिया रावतान के ख0न0 173 की 0.60 है, 59 की 0.31 है, 72 की 2.89 है, 90 की 1.21 है, 174/390 की 3.25 है, 58 की 1.70 है, 91 की 2.74 है, 174 की 6.40 है 0 में से 3.20 है पूर्व, 221 की 0.80 है 0 में से 0.30 है उत्तर, 114 की 0.93 है 0 में से 0.64 है उत्तर, 224 की 1.80 है 0 में से 0.90 है उत्तर कुल किता 11 रकबा 17.74 है। जिसके अनुसार प्रतिवादी नम्बर 6 व वादी नम्बर 8 के हिस्से में पारिवारिक विभाजन में प्राप्त भूमि ग्राम बम्बूलिया रावतान के ख0न0 नम्बर 123 की 0.39 है, 129 की 2.45 है, 130 की 2.99 है, 222 की 0.52 है कुल किता 4 रकबा 6.35 है। यह कि उपरोक्त भूमि में से प्रतिवादी नम्बर 2 ता 5 अपना हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहती है तथा उनको कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी नम्बर 2 ता 5 का नाम डिलिट किया जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

सहायक क्लर्क
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

वादी का वाद पत्र सहमति पूर्वक राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है और वादी नम्बर 4 को निम्न भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

6

क्र०	नाम ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा
1	बम्बूलिया रावतान	101	0.93 है०
2	बम्बूलिया रावतान	115	0.57 है०
3	बम्बूलिया रावतान	138	1.39 है०
4	बम्बूलिया रावतान	151	0.97 है०
5	बम्बूलिया रावतान	174	6.40 है० में से 3.20 है० पश्चिमी
6	बम्बूलिया रावतान	220	0.13 है०
7	बम्बूलिया रावतान	221	0.80 है० में से 0.50 है० दक्षिणी
8	बम्बूलिया रावतान	226	0.14 है०
9	बम्बूलिया रावतान	283	0.04 है०
10	बम्बूलिया रावतान	294	0.12 है०
11	बम्बूलिया रावतान	48	3.30 है०
12	बम्बूलिया रावतान	114	0.93 है० में से 0.29 है० दक्षिणी
13	बम्बूलिया रावतान	154	0.83 है०
14	बम्बूलिया रावतान	224	1.80 है० में से 0.90 है० दक्षिणी
15	बम्बूलिया रावतान	301	0.03 है०
16	बम्बूलिया रावतान	311	0.02 है०
17	बम्बूलिया रावतान	49	1.72 है०
कुल किता 17			रकबा 15.08 है०
18	भूडेन	111	2.03 है०
18	भूडेन	123	0.53 है०
कुल किता 2			रकबा 2.56 है०

प्रतिवादी नम्बर 1 व वादी नम्बर 1 ता 3 को निम्न भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

क्र०स०	नाम ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा
1	बम्बूलिया रावतान	173	0.60 है०
2	बम्बूलिया रावतान	59	0.31 है०
3	बम्बूलिया रावतान	72	2.89 है०
4	बम्बूलिया रावतान	90	1.21 है०
5	बम्बूलिया रावतान	174/390	3.25 है०
6	बम्बूलिया रावतान	58	1.70 है०
7	बम्बूलिया रावतान	91	2.74 है०
8	बम्बूलिया रावतान	174	6.40 है० में से 3.20 है० पूर्व
9	बम्बूलिया रावतान	221	0.80 है० में से 0.30 है० उत्तर
10	बम्बूलिया रावतान	114	0.93 है० में से 0.64 है० उत्तर
11	बम्बूलिया रावतान	224	1.80 है० में से 0.90 है० उत्तर
कुल किता 11			रकबा 17.74 है०

सहायक कलेक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

7

वादी नम्बर 6 व वादी नम्बर 8 को निम्न भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

स0	नाम ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा
1	बम्बूलिया रावतान	123	0.39 है0
2	बम्बूलिया रावतान	129	2.45 है0
3	बम्बूलिया रावतान	130	2.99 है0
4	बम्बूलिया रावतान	222	0.52 है0
कुल किता 4			रकबा 6.35 है0

तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 5 उक्त भूमियों में वा हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहती है जिस पर नियमानुसार हक त्याग का शुल्क वसूल किया जाकर वादी नम्बर 2 ता 5 निर्णय अनुसार पालना की जावे।

मुताबिक निर्णय अनुसार उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाये तदनुसार डिक्री जारी

निर्णय आज दिनांक5.4.23..... को सरे इजलास में सुनाया गया।

ह.स.व.
सहायक कलक्टर
सहादीगोद कलक्टर
दीगोद, जिला क्षेत्र (राज.)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

न० / 22 तारीख दायरा 03.11.2022 तारीख फैसला

1. कुन्दन आत्मज राजाराम जाति मीणा निवासी बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद
2. रामलखन आत्मज राजाराम जाति मीणा निवासी बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद
3. गायत्री बाई पत्नि राजाराम जाति मीणा निवासी बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद
4. चेतन आत्मज स्व० नन्दबिहारी जाति मीणा निवासी बम्बूलिया रावतान तह० दीगोद
5. नरेश आत्मज स्व० नन्दबिहारी जाति मीणा निवासी बम्बूलिया रावतान तह० दीगोद
6. रविन्द्र आत्मज स्व० नन्दबिहारी जाति मीणा निवासी बम्बूलिया रावतान तह० दीगोद
7. यशोधरा बेवा स्व० नन्दबिहारी जाति मीणा निवासी बम्बूलिया रावतान तह० दीगोद
8. रामावतार माता जानकी बाई, पिता कजोड जाति मीणा निवासी बम्बूलिया रावतान तह० दीगोद (वादी)

बनाम

1. राजाराम आत्मज बाला जी जाति मीणा निवासीगण बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद
2. प्रेमबाई पुत्री बाला जाति मीणा निवासीगण बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद
3. कान्ति उर्फ चन्द्रकान्ता पुत्री बाला जी जाति मीणा निवासीगण बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद
4. निर्मला पुत्री बाला जी जाति मीणा निवासीगण बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद
5. किसकिन्धा पुत्री बाला जाति मीणा निवासीगण बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद
6. जानकी बाई उर्फ रामजानकी पत्नी कजोड जाति मीणा निवास बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से :- श्री बलराम शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से :- श्री धनराज मण्डावत एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 राज० टीनेन्सी एक्ट बाबत घोषणा, दुरुस्ती, विभाजन व स्थाई निषेद्याज्ञा

मिसल नम्बर

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू मुझ हरबिन्दर डी.सिंह आर.ए.एस बहाजिरी मिनजानिब मुददई रूबरू मिनजानिब मुददालयह न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित भूमि ग्राम बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 101 की 0.93 है०, 115 की 0.57 है०, 138 की 1.39 है०, 151 की 0.97 है०, 174 की 6.40 है० में से 3.20 है०, 220 की 0.13 है०, 221 की 0.80 है० में से 0.50 है० दक्षिणी, 226 की 0.14 है०, 283 की 0.04 है०, 294 की 0.12 है०, 48 की 3.30 है०, 114 की 0.93 है० में से 0.29 है० दक्षिणी, 154 की 0.83 है०, 224 की 1.80 है० में से 0.90 है० दक्षिणी, 301 की 0.03 है०, 311 की 0.02 है०, 49 की 1.72 है० कुल कित्ता 17 की 15.08 है० तथा ग्राम भूडेन तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 111 की 2.03 है०, 123 की 0.53 है० कुल कित्ता 2 रकबा 2.56 है० का उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त भूमि में वादी नम्बर 4 ता 7 को निम्न भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

6/11/22

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

क्र०स०	नाम ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा
	बम्बूलिया रावतान	101	0.93 है०
2	बम्बूलिया रावतान	115	0.57 है०
3	बम्बूलिया रावतान	138	1.39 है०
4	बम्बूलिया रावतान	151	0.97 है०
5	बम्बूलिया रावतान	174	6.40 है० में से 3.20 है० पश्चिमी
6	बम्बूलिया रावतान	220	0.13 है०
7	बम्बूलिया रावतान	221	0.80 है० में से 0.50 है० दक्षिणी
8	बम्बूलिया रावतान	226	0.14 है०
9	बम्बूलिया रावतान	283	0.04 है०
10	बम्बूलिया रावतान	294	0.12 है०
11	बम्बूलिया रावतान	48	3.30 है०
12	बम्बूलिया रावतान	114	0.93 है० में से 0.29 है० दक्षिणी
13	बम्बूलिया रावतान	154	0.83 है०
14	बम्बूलिया रावतान	224	1.80 है० में से 0.90 है० दक्षिणी
15	बम्बूलिया रावतान	301	0.03 है०
16	बम्बूलिया रावतान	311	0.02 है०
17	बम्बूलिया रावतान	49	1.72 है०
कुल किता 17			रकबा 15.08 है०
18	भूडेन	111	2.03 है०
18	भूडेन	123	0.53 है०
कुल किता 2			रकबा 2.56 है०

प्रतिवादी नम्बर 1 व वादी नम्बर 1 ता 3 को निम्न भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

क्र०स०	नाम ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा
1	बम्बूलिया रावतान	173	0.60 है०
2	बम्बूलिया रावतान	59	0.31 है०
3	बम्बूलिया रावतान	72	2.89 है०
4	बम्बूलिया रावतान	90	1.21 है०
5	बम्बूलिया रावतान	174 / 390	3.25 है०
6	बम्बूलिया रावतान	58	1.70 है०
7	बम्बूलिया रावतान	91	2.74 है०
8	बम्बूलिया रावतान	174	6.40 है० में से 3.20 है० पूर्व
9	बम्बूलिया रावतान	221	0.80 है० में से 0.30 है० उत्तर
10	बम्बूलिया रावतान	114	0.93 है० में से 0.64 है० उत्तर
11	बम्बूलिया रावतान	224	1.80 है० में से 0.90 है० उत्तर
कुल किता 11			रकबा 17.74 है०

प्रतिवादी नम्बर 6 व वादी नम्बर 8 को निम्न भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

क्र०स०	नाम ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा
1	बम्बूलिया रावतान	123	0.39 है०
2	बम्बूलिया रावतान	129	2.45 है०
3	बम्बूलिया रावतान	130	2.99 है०
4	बम्बूलिया रावतान	222	0.52 है०
कुल किता 4			रकबा 6.35 है०

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 5 उक्त भूमियों में हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहती है जिस पर नियमानुसार हक त्याग का शुल्क वसूल किया जाकर गद्दी नम्बर 2 ता 5 निर्णय अनुसार पालना की जावे।

५

तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 5.4.23 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दै	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनाम	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।

सहायक कलेक्टर
दीगोद
जिला क्षेत्र (राज.)